1444

GAD Forms (V) 1

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ... Dr. Anita Tilwari 2. वर्तमान धारित पद ... Scientist

3. वर्तमान वेतन ... 15600+GP Rs 5400/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख ... —

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
H.NO. 17, Deep Nagar, Khajuri Kala BHEL, Bhopal.	Housing	—	Rs. 8.50/- lacs	own	Purchased from Canfin Bank in the year 2008 at a cost of Rs 6.00 lacs. (Rs. 4.00 lacs from Bank of Baroda) Bhopal	Nil	

* जो लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान [illegible] में उसका मूल्य बतलाया जाए।

*** इनमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - [illegible]

हस्ताक्षर Tilwari

नाम Dr. Anita Tilwari

पद Scientist

(उ.व.)

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डॉ. वी. मूलचन्दानी .... 2. वर्तमान धारित पद डी.ए ....

3. वर्तमान वेतन रु० 23160/- मूल वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख ..01.7.2010........

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	भवन म०प्र० गृह निर्माण मण्डल द्वारा क्रय प्लाट (50x80) पर सन् 2003 मे भवन का निर्माण किया गया।	प्लाट स्वामी [illegible] [illegible] वर्ष 1984 में पिता द्वारा दिया गया था।	म.प्र. गृह निर्माण मण्डल से क्रय प्लाट पर भवन निर्माण 2003 मे रु० 9.00 लाख (लगभग) लागत से कराया गया।	—	स्वयं की बचत एवं पिता द्वारा सहायतार्थ दिये गये धन से अर्जित किया गया।	कोई नहीं स्वयं ~~निवास~~ निवास हेतु है	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1965 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य [illegible] अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति [illegible] समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत [illegible] और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा [illegible] अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य [illegible] नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम या पट्टे या [illegible] पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर [signature] ....

नाम डॉ. वी. मूलचन्दानी ....

पद डी.ए ....

115

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ... डॉ. वीरेन्द्र श्रीवास्तव ... 2. वर्तमान धारित पद ... वैज्ञानिक

3. वर्तमान वेतन .... अगली वेतनवृद्धि की तारीख ... 1/1/2011 ......

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला भोपाल चूनाभट्टी कोलार रोड भोपाल	गृह निवास	X	22 लाख	पत्नी के नाम के साथ	भूखण्ड लेकर, बैंक से ऋण लेकर बनवाया	X	X

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 19[illegible] के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर ... [signature]

नाम ... Dr. V. Shrivastava

पद ... वैज्ञानिक